

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 1979/कार्तिक 9, 1901

No. 344] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paglag is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नौबहन और परिपक्व मंत्रालय

(परिपक्व वक्ता)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

सा.का.नि. 608(अ).—सहाय्यक न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन के न्यायी-मण्डल द्वारा बनाए गए

और महाराष्ट्र सरकार के गजट में दिनांक 26 अक्टूबर, 1978 और 2 नवम्बर, 1978 को प्रकाशित बम्बई पोर्ट ट्रस्ट इम्प्लॉईज हाउसिंग लॉन्स (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 1978 नामक अधिनियमों का अनुसूदन करती है ।

[सं. पी. ई. बी.-62/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1979

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve of the Regulation entitled the Bombay Port Trust Employees Housing Loans (Amendment) Regulations, 1978 made by the Board of Trustees of the Bombay Port in exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub-section (2) of Section 124 of the said Act and published in the Maharashtra Government Gazette dated the 26th October, 1978 and the 2nd November, 1978.

[No. PEB-62/78]

D. K. JAIN, Jt. Secy.